

29.12.17

न्यायालय रिक्त होने के कारण प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आवेदकगण वीरपाल सिंह एवं कमल सिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा ए0जी0पी0 श्री बी0एस0 बघैल उपस्थित।

फरियादी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आवेदकगण की ओर से सूची सहित दस्तावेज पुलिस अधीक्षक भिण्ड को किए गए आवेदन सितम्बर 2015 के नई दुनिया समाचार पत्र की पेपर कटिंग सरपंच प्रकाश सिंह कुशवाह के लेटर पेड पर लिखे गए पंचनामा, अदम चेक क्रमांक 84/15 दिनांक 30.08.15 एवं थाना प्रभारी गोहद चौराहा को किए गए आवेदन दिनांक 06.09.15 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। नकलें दिलाई गई।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 730/17 (पुलिस थाना गोहद चौराहा का अपराध क्रमांक 138/17 अंतर्गत धारा-341, 323, 294, 324, 506, 326, 307 एवं 34 भा0दं0सं0) का मूल अभिलेख प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 438/17 आवेदक कमल सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 439/17 आवेदक वीरपाल सिंह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकार दोनों आवेदकगण के दो प्रथक प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदकगण वीरपाल सिंह एवं कमल सिंह के आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. के साथ उनके साले राजवीर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदकगण का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदकगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि पुलिस थाना गोहद चौराहा ने विरोधियों से सांडगांठ करके एक झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। जबकि आवेदकगण का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के भाई महेन्द्र, भाभी तथा बहिनों की मारपीट दिनांक 20.10.17 को फरियादी व उसके परिवार वालों द्वारा की गई, जिसके संबंध में महेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड

को भी शिकायत की गई थी। जिस पर पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करके आवेदकगण व उसके भाईयों को झूठा फंसाया है। आवेदकगण की भाई की पुत्री सपना को फरियादी व उसके परिवार वालों के द्वारा पूर्व में उठाया गया है, जिसके कारण आवेदकगण और फरियादी की पूर्व से रंजिश चली आ रही है। आवेदकगण दिनांक 15.12.17 से न्यायिक निरोध में लिया गया है। आवेदकगण यदि अधिक समय तक न्यायिक निरोध में रहे तो उनके परिवार के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

फरियादी/आपत्तिकर्ता मोनू उर्फ राघवेन्द्र की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है क्योंकि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर उसे एवं उसके पिता सुरेश सिंह को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी एवं डण्डों से चोटें पहुंचाई हैं, जिसके कारण उसे और उसके पिता सुरेश सिंह गंभीर चोटें आईं। आवेदकगण/अभियुक्तगण फरियादी पक्ष पर राजीनामा के लिए दबाव दे रहे हैं। प्रकरण में अभी विवेचना चल रही है। यदि इस स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया गया तो वे फरियादी के साक्षियों को प्रभावित कर, विवेचना प्रभावित करेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने गंभीर घटना घटित की है। उक्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 20.10.2017 को शाम चार बजे के लगभग फरियादी मोनू उर्फ राघवेन्द्र तोमर ग्राम सर्वा से अपने घर चक सर्वा जा रहा था कि पूरन सिंह सिकरवार के घर के सामने आम रास्ते में कमल सिंह डंडा, रामवीर कुल्हाड़ी तथा वीरपाल एवं लायक सिंह डंडा लिये मिले, पुरानी रंजिश पर उन चारों ने अश्लील गालियां दी। मना करने पर कमल सिंह ने फरियादी के सिर में डंडा मारा जो सिर में बाईं तरफ लगा। वीरपाल ने डंडा मारा तो दाहिने कंधे के उपर चोट आयी। फरियादी के पिता सुरेश सिंह उसे बचाने आये तो रामवीर ने कुल्हाड़ी मारी जो सुरेश सिंह के सिर में दाहिने एवं बाईं तरफ लगी चोट होकर खून निकला। सुरेश के लायक सिंह ने डंडे मारे जो उसे दाहिने एवं बांय हाथों में एवं बांये पैर में चोट आयीं। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट मोनू उर्फ राघवेन्द्र के द्वारा थाना गोहद चौराहा पर की गयी।

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड एवं थाना प्रभारी गोहद चौराहा को आवेदन करना, पेपर में समाचार निकलना, पंचनामा तैयार होना, पूर्व में कमल सिंह के द्वारा सुरेश व रिकू के विरुद्ध गाली गलोज एवं

मारपीट करने की रिपोर्ट करना प्रकट है।

परंतु मोनू के मेडीकल परीक्षण में सिर के बांयी ओर पेराईटल भाग पर फटा हुआ घाव एवं दाहिने कंधे पर एवरेजन होना पाया गया है। सुरेश के सिर में दाहिनी तरफ ऑक्सीपिटल भाग पर कटा हुआ घाव, पेराईटल भाग पर बांयी ओर फटा हुआ घाव, बांयी भुजा पर फटा हुआ घाव आना पाया गया है, दाहिनी एल्बो पर कटा हुआ घाव पाया गया है। सुरेश की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट में सिर में पेराईटल एवं ऑक्सीपिटल हड्डी में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के साथ दाहिनी ओर पेराईटल एवं ऑक्सीपिटल हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर होना पाया गया है। सिर में अन्य चोटें भी पायीं गयी हैं। सुरेश के दाहिने हाथ में रेडियस हड्डी का फ्रैक्चर होना भी पाया गया है।

पुलिस के द्वारा बिरला अस्पताल ग्वालियर को संबंधित चिकित्सक से क्वेरी रिपोर्ट मांगें जाने पर संबंधित रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा भी यह रिपोर्ट दी गयी है कि सी.टी. स्कैन रिपोर्ट के अनुसार आहत की चोटें गंभीर प्रकार की है जो कि प्राण घातक हो सकती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सहअभियुक्त रामवीर के द्वारा कुल्हाड़ी से सुरेश के सिर में वार किया गया है जिससे उसके दाहिने एवं बांयी तरफ चोट आयी है। वही चोट सी.टी. स्कैन की रिपोर्ट के अनुसार मल्टीपल एवं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के रूप में पेराईटल एवं ऑक्सीपिटल हड्डी पर है।

अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए तथा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ आवेदकगण की संलिप्तता को देखते हुए आवेदकगण कमल सिंह एवं वीरपाल सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उनके जमानत आवेदन निरस्त किए गए।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ वापिस की जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड